रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 3, 2000/आश्विन 11, 1922
No. 648] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2000/ASVINA 11, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2000

का.आ. 908(अ).— नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1999 का प्रारूप भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.783 तारीख 27 सितम्बर, 1999, उसी तारीख के भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, ऐसे व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 5 अक्तूबर, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक रूप से विचार कर लिया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और हथालन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 है ।

(2) जैसा इन नियमों में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाए ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना -- ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक नगरपालिका प्राधिकारी को लागू होंगे ।

3. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(i) "वात निरपेक्ष पाचन" से ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें आक्सीजन के अभाव में कार्बनिक पदार्थ का माइक्रोबायिल वियोजन अंतर्वलित है ;

2671 GI/2000

(ii) "प्राधिकार" से "सुविधा के प्रचालक" को बोर्ड या समिति द्वारा दी गई सहमति अभिप्रेत है ;

(iii) "जैव निम्नकरणीय पदार्थ" से वह पदार्थ अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीवो द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है ;

(iv) "जैविक मीथेनीकरण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो मिथेन समृद्ध जैविक गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एन्जाईमी विघटन करती है ;

(v) "संग्रहण" से संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्टों को उठाना और हटाया जाना अभिप्रेत है ;

(vi) "कचरा खाद बनाने" से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्मजैवीय निम्नकरण अंतर्वलित है ;

(vii) "ढहाने तथा निर्माण संबंधी अपशिष्ट" से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत और ढहाने संबंधी संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उदभूत अपशिष्ट अभिप्रेत है ;

(viii) "व्ययन" से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को संदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अंतिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है ;

(ix) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(x) "अपशिष्टों के उत्पादक" से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है ;

(xi) "भूमिभरण" से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजायन की गई सुविधा में अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि पर निपटान अभिप्रेत है ;

(xii) "निक्षालितक" से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है ;

(xiii) "लाइसीमीटर" से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जिसका प्रयोग मृदा परत के माध्यम से या उस में से जल की गति मापने के लिए किया जाता है या जिसका प्रयोग गुणवत्ता विश्लेषक के लिए अन्तःस्राव जल के एकत्रण के लिए किया जाता है ;

(xiv) "नगरपालिक प्राधिकारी" से म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, म्यूनिसिपेलिटी, नगरपालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगरपालिक परिसर जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति (एन.ए.सी) अथवा सुसंगत कानूनों के अंतर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है ;

(xv) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किंतु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है ;

(xvi) "प्रसुविधा के प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, प्रथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की प्रसुविधा का स्वामी या प्रचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अभिकरण भी आता है जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंध और हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है ;

(xvii) "गुटिकाकरण" से कोई ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे गुटिकाएं तैयार की जाती है जो ठोस अपशिष्टों से तैयार की गई लघु क्यूब या बेलनाकार टुकड़ों में होंगे और इसके अन्तर्गत ईंधन गुटिकाएं भी आती है जिसे कचरे से प्राप्त ईंधन के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया है ;

(xviii) "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नए या पुनःचक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है ;

(xix) "पुनःचक्रण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नए उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को कचरा खाद में परिवर्तन करता है, जो कि अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ;

(xx) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(xxi) "पृथक्करण" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग-अलग करना अभिप्रेत है ;

(xxii) "राज्य बोर्ड या समिति" से, यथास्थिति, किसी राज्य का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघराज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है ;

(xxiii) "डालना" से नगरीय ठोस अपशिष्टों की अस्थायी रूप से इस प्रकार डिब्बा बंद किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा-करकट बिखेरने, रोगवाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके ;

(xxiv) "परिवहन" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कुड़ा करकट बिखेरने, रोगवाहकों की पहुंच को रोका जा सके ;

(xxv) "अधिभौम जल" से वह जल अभिप्रेत है, जो भू सतह तथा भौम जल स्तर के मध्य अर्थात् असंतृप्त क्षेत्र में होता है ;

(xxvi) "कृमि कचरा खाद बनाना" जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने के लिए केंचुओं को उपयोग में लाने की एक प्रक्रिया है ;

4. नगरपालिक प्राधिकारी का दायित्व :--

(1) प्रत्येक नगरपालिक प्राधिकारी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन तथा नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन के लिए किसी भी अवसंरचनात्मक विकास के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) नगरपालिक प्राधिकारी या किसी सुविधा का प्रचालक, अनुसूची 1 में अधिकथित कार्यान्वयन कार्यक्रम की अनुपालना की दृष्टि से राज्य बोर्ड या समिति से, अपशिष्टों के प्रसंस्करण और व्ययन प्रसुविधा की, जिसके अन्तर्गत भूमि भरण भी है, स्थापना के लिए प्राधिकार मंजूर करने के लिए प्ररूप–1 में आवेदन करेगा ।

(3) नगरपालिक प्राधिकारी, अनुसूची- 1 में अधिकथित कार्यान्वयन सूची के अनुसार इन नियमों का पालन करेंगे ।

(4) नगरपालिका प्राधिकारी, अपनी वार्षिक रिर्पोटक को प्ररूप 2 में,

(क) किसी महानगर की दशा में, यथास्थिति, संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव को ; या

(ख) सभी अन्य नगरों या शहरों की दशा में, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त को,

प्रतिवर्ष 30 जून को या उसके पूर्व राज्य बोर्ड या समिति को प्रति के साथ भेजेगा ।

5. राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का दायित्व :--

(1) यथास्थिति, संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव का महानगरों में इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन का संपूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।

(2) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त का उनकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्त्तन का संपूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।

6. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य बोर्ड या समितियों का दायित्व :--

(1) राज्य बोर्ड या समिति, भू जल, परिवेशी वायु, निक्षालन गुणता तथा कचरा खाद्य गुणता से संबंधित मानकों का मानीटरन और अनुपालन करेगा जिसके अन्तर्गत अनुसूची ii, iii और iv में विनिर्दिष्ट भस्मीकरण मानक भी है ।

(2) राज्य बोर्ड या समिति, यथास्थिति, अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा जिसके अन्तर्गत भूमिभरण भी है, स्थापित करने हेतु प्राधिकार देने के लिए नगरपालिक प्राधिकारी या सुविधा के प्रचालक से प्ररूप–1 में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्ताव की जांच करेगा तथा ऐसा प्राधिकार जारी करने से पूर्व अन्य एजेंसियों जैसे राज्य शहरी विकास विभाग, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, एयर पोर्ट या एयर बेस प्राधिकरण, भू जल बोर्ड या अन्य किसी एजेंसी के दृष्टिकोण पर भी विचार करेगा ।

(3) राज्य बोर्ड या समिति, अनुसूची 2, 3 ओर 4 में विनिर्दिष्ट अनुपालना मानदंड और मानक, जिसके अंतर्गत ऐसी अन्य शर्तें भी हैं, जो आवश्यक हो, का अनुबद्ध करते हुए पैंतालीस दिवस के भीतर नगरपालिक प्राधिकारी या सुविधा के किसी प्रचालक को प्ररूप–3में प्राधिकार जारी करेगा ।

(4) प्राधिकार दी गई अवधि के लिए विधिमान्य होगा और विधिमान्यता अवधि समाप्त होने के पश्चात् नया प्राधिकार अपेक्षित होगा ।

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के कार्यान्वयन और पुनर्विलोकन तथा मानीटरन डाटा के संकलन के विशिष्ट निर्देश के साथ राज्य बोर्डों और समितियों से समन्वय करेगा ।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन :--

(1) किसी शहर या नगर में उत्पन्न किसी नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन तथा हथालन अनुसूची-2 में अधिकथित मापदण्डों और प्रक्रियाओं के अनुपालन करते हुए किया जाएगा ।

(2) नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा या सुविधा के प्रचालक द्वारा स्थापित अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाएं, अनुसूची iii और iv में दिए गए विनिर्देशों तथा मानकों को पूरा करेगी ।

8. वार्षिक रिपोर्ट

(1) राज्य बोर्ड और समिति प्ररूप iv में प्रतिवर्ष 15 सितम्बर को या उससे पहले इन नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक रिर्पोट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी ।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन पर समेकित वार्षिक पुनरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे अपनी सिफारिशों सहित प्रति वर्ष 15 दिसम्बर से पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

9. दुर्घटना की सूचना देना -

किसी नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, प्रसंस्करण उपचार शोधन तथा व्ययन, सुविधा या भूमिभरण स्थल अथवा ऐसे अपशिष्टों के परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना होने पर नगरपालिक प्राधिकारी, प्ररूप 5 में दुर्घटना की सूचना महानगर की दशा में सचिव प्रभारी, शहरी विकास विभाग और अन्य सभी मामलों में जिला कलैक्टर या उपायुक्त को भेजेगा ।

अनुसूची - I

(नियम 4(2) और 4(3) देखिए)

कार्यान्वयन सूची

क्रमांक	अनुपालन के मानदण्ड	अनुसूची
1.	अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाएं स्थापित करना	31.12.2003 तक अथवा उससे पूर्व
2.	अपशिष्ट प्रसंस्करण अथवा निपटान सुविधाओं के निष्पादन की निगरानी करना	6 माह में एक बार
3.	इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मौजूदा भूमि भरण स्थलों का सुधार किया जाना	31.12.2001 तक अथवा उससे पूर्व
4.	भावी प्रयोग के लिए भूमि भरण स्थलों की पहचान करना तथा प्रचालन के लिए स्थल (स्थलों) को तैयार करना ।	31.12.2002 तक अथवा उससे पूर्व

अनुसूची 2

[नियम 6 (1) और (3), 7 (1) देखिए]

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

क्रम संख्या	पैरोमीटर	अनुपालनीय मानदण्ड
1.	नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	1. शहरों और नगरों तथा सरकार द्वारा अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों का कूड़ा-करकट फैलाना प्रतिषिद्ध होगा । कूड़ा-करकट फैलाने को प्रतिषिद्ध करने और अनुपालन को सुकर करने के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे, अर्थात् :-- (i) सामुदायिक कूड़ेदान द्वारा संग्रहण, (मध्यस्थित कूडादान) घर-घर जाकर संग्रहण, ध्वनि युक्त वाहनों की घंटी बजाकर (अनुज्ञेय ध्वनि स्तरों से अधिक ध्वनि किए बिना) पूर्व सूचित नियमित समयों और समय सारणी के अनुसार जैसे किन्हीं ढंगों में से किसी को अपनाकर घर-घर जाकर कूड़ा-कचरा संग्रहण करना । (ii) होटलों/रेस्ताराओं/कार्यालय परिसरों तथा वाणिज्यक क्षेत्रों समेत झुग्गी-झोपड़ी तथा इधर-उधर फैले क्षेत्रों/बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करना । (iii) बूचडखानों, मांस और मछली बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट का, जो जैव निम्नकरणीय प्रकृति का होता है, प्रबंधन इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्टों को उपयोग में लाया जा सके, (iv) जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाया जाएगा और ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जाएगा । (v) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहीत अपशिष्ट को हाथ से खींची जाने वाली ठेला गाडियों द्वारा सामुदायिक कूड़ाधरों में डाला जाएगा । (vi) बागबानी और निर्माण/ढ़हाए गए कार्यों से उदभूत अपशिष्टो/मलबे को अलग-अलग संगृहीत किया जायेगा और समुचित मानकों के अनुसार इनका व्ययन किया जायेगा इसी प्रकार, दुग्ध डेरियों से उत्पन्न अपशिष्ट को राज्य विधियों के अनुसार विनियमित किया जायेगा । (vii) अपशिष्ट (कूड़ा-करकट, सूखी पत्तियां) को जलाया नहीं जायेगा । (viii) आवारा पशुओं को अपशिष्ट कूडादान स्थलों अथवा शहर/नगर में किसी अन्य स्थान के आसपास नहीं घूमने दिया जायेगा तथा राज्य विधियों के अनुसार उनका प्रबंध किया जायेगा ।